इलेक्ट्रोनिक उद्योग

2509. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक उद्योग को विभिन्न छूट देते समय इस उद्योग के भविष्य तथा इससे होने वाले लाभ का कोई अनुमान लगाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) अगस्त, 1983 में वित्तीय तथा लाइसेंसिंग की एक मुश्त नीतियों की घोषणा करने से पहले, इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन किया गया था। यह नोट किया गया था कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा था, जब कि यह अनुमान लगाया था कि विकास की क्षमता बहुत अधिक थी। क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से यह महसूस किया गया था कि किसी उद्योग में जब प्रौद्योगिकी बहुत जल्दी अप्रचलित हो जाती है तो यह जरूरी है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

ये मूल्यांकन सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त समितियों, अर्थात् इलेक्ट्रानिक निर्यात पर गठित समितियों (मेनन समिति) इलेक्ट्रानिक पर गठित समीक्षा समिति (सोंधी समिति), द्वारा किए गए कई अध्ययन पर आधारित थे।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्माण की लागत को कम करने की दृष्टि से वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए प्रस्तावों का एक पैकेज तैयार किया गया। इस पैकेज में लाइसेंसिंग नीतियों के सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है जिसमें तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता उत्पादन पर बल दिया गया। वर्ष 1983 के प्रारम्भ में जब सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था तब यह अनुमान लगाया था कि इन उपायों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास की दर में तेजी आएगी। वर्ष 1982 में हुए 1260 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में, यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 1984–85 में उत्पादन 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। यह अनुमान खरा उतरा और वर्ष 1984–85 में 2080 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ।

अगस्त, 1983 में घोषित नीति के बाद, सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसमें 1989–90 के अन्तिम वर्ष में 10,860 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

Ordinance Amending the Gujarat Private Primary Teachers Act Pending Approval

2510. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Ordinance to amend the Gujarat Private Primary Teachers Act is pending with the Central Government

(b) if so, since when it has been pending and what are the reasons for this in ordinanate delay;

(c) by when the Ordinance is likely to be given approval ; and

(d) whether it is also a fact that the Federation of Gujarat Private Primary Teachers Association has presented a memorandum to the Prime Minister threatening to stage a 'dharna' at his residence if the ordinance is not cleared soon ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) The Bombay Primary Education (Gujarat Amendment) Ordinance, 1983 is pending with the Central Government.